न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) गिर्वा, उदयपुर
पीठासीन अधिकारी रमेश सीरवी पुनाड़िया आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 53/24 वाद
पूर्व प्रकरण संख्या : 134/18 वाद

श्री भॅवरलाल गुंर्जर पिता श्री मोहनलाल गुर्जर, उम्र 54 वर्ष, निवासी गोरेला, गुर्जर बस्ती, तह. गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

...................वादी

बनाम

1. मृतक उदयलाल पिता श्री मोहनलाल गुर्जर के बजाय :–
   1/1 कमल पिता स्व. उदयलाल पिता श्री मोहनलाल गुर्जर
   1/2 सुरेश पिता स्व. उदयलाल पिता श्री मोहनलाल गुर्जर
   1/3 शान्ता बाई पुत्री स्व. उदयलाल पिता श्री मोहनलाल गुर्जर
   1/4 नारायणी बाई पत्नि स्व. उदयलाल पिता श्री मोहनलाल गुर्जर
   सर्व निवासीनयान निवासी गोरेला, गुर्जर बस्ती, तह. गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. शिवनारायण पिता श्री मोहनलाल गुर्जर, उम्र वयस्क वर्ष, निवासी गोरेला, गुर्जर बस्ती, तह. गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्यामलाल पिता श्री मोहनलाल गुर्जर, उम्र वयस्क वर्ष, निवासी गोरेला, गुर्जर बस्ती, तह. गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
4. प्रभुलाल पिता श्री मोहनलाल गुर्जर, उम्र वयस्क वर्ष, निवासी गोरेला, गुर्जर बस्ती, तह. गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
5. श्रीमती पुष्पा बाई पत्नी श्री रामलाल गुर्जर, पुत्री श्री मोहनलाल गुर्जर, उम्र वयस्क वर्ष, निवासी गोरेला, गुर्जर बस्ती, तह. गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब तह. गिर्वा, जिला उदयपुर

................प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

उपस्थितः– श्री बजरंग प्रसाद शर्मा अधिवक्ता वादी

निर्णय

दिनांक :15.05.2024

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी ने वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर अंकित किया कि मौजा ग्राम गौरेला, पटवार [illegible] सीसा[illegible] [illegible] मिथी की आराजी नम्बर 564/2, 572 किता 2 रकबा 0.1600 हे[illegible]यर [illegible] व आराजी संख्या 535, 562 किता 2 रकबा 0[illegible]150 हेक्टेयर [illegible] स्थित है। उक्त वर्णित आराजीयात में वादी का 1/6 हक [illegible] हिस्सा [illegible]हित है। इसी प्रकार [illegible] संख्या 1 से 5 का 5/6 हक व हिस्सा नि[illegible] है। वादी एवं प्रति[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.05.30 14:27:17 IST
Reason: SelfAttested

इस भूमि में सहखातेदार है। जिसमें वादी विधिक खातेदार होते हुए भी उक्त कृषि भूमि पर कृषि कार्य नहीं कर पा रहा है एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 उक्त सामलाती कृषि भूमि पर आये दिन लडाई– झगड़ा करते रहते है। वादी काफी समय से प्रतिवादीगण से विनम्र आग्रह कर रहा है कि सभी मिलकर भूमि का नाप व सिमांकन द्वारा विधिवत रूप से विभाजन कर ले, परन्तु प्रतिवादीगण आना–कानी कर रहे है एवं विभाजन के लिए तैयार नहीं है। अतःएव उनके विरूद्ध बंटवाड़ा व स्थाई निषेद्याज्ञा का वाद संस्थित करना आवश्यक हो गया है।

अतः वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 564/2, 572, किता 2 रकबा 0.1600 हेक्टेयर व खसरा संख्या 535, 562 किता 2 रकबा 0.4150 हेक्टेयर का नाप व सीमांकन द्वारा विभाजन कराया जाकर वादी का 1/6 हिस्सा भूमि पर पृथक एवं स्वतंत्र आधिपत्य कराया जावे एवं तद्नुसार लगान का विभाजन कराया जाकर वादी के हिस्से की जमीन राजस्व अभिलेखों में नाम अकिंत कराया जावे एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई व्यादेश की डिक्री इस आश्य की पारित करवाई जावे कि वे वादी के हिस्से एवं आधिपत्य वाली भूमि में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करें।

प्रतिवादीगण को जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिया जाने के बावजूद जवाब पेश नहीं करने से जवाब अवसर बंद किए जाकर पत्रावली वादी के साक्ष्य में नियत की गई। वादी द्वारा साक्ष्य में PW1 भंवरलाल गुर्जर पिता उदयलाल गुर्जर का शपथ पत्र पेश किया गया। दस्तावेजों को प्रदर्श अंकित कराया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रस्तुत ग्राम गोरेला तहसील गिर्वा की नकल जमाबन्दी संवत् 2070 से 2073 जिसकी खाता संख्या 160 आराजी संख्या 564/2, 572 किता 2 रकबा 0.1600 हैक्टयर मोहनलाल पिता रामलाल गुर्जर के दर्ज होकर प्रदर्श–1 है। ग्राम गोरेला तहसील गिर्वा की जमाबन्दी संवत् 2070 से 2073 जिसकी खाता संख्या 159 आराजी संख्या 535, 562 किता 2 रकबा 0.4150 हैक्टयर मोहनलाल पिता रामलाल गुर्जर के दर्ज होकर प्रदर्श–2 है। प्रतिवादीगण के उपस्थित नहीं होने व साक्ष्य वादी जिरह नहीं करने से साक्ष्य वादी जिरह बन्द की जाकर पत्रावली साक्ष्य प्रतिवादी हेतु नियत की गई। प्रतिवादीगण के उपस्थित नहीं होने से पत्रावली में साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की जाकर पत्रावली में प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के विरूद्ध दिनांक 20.07.2021 को एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर बहस सुनी गई।

प्रकरण में न्यायालय द्वारा दिनांक 20.07.2021 को वादी का वाद स्वीकार किया जाकर प्रारंभिक डिक्री किया गया। तहसीलदार गिर्वा को मौका कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया गया कि पक्षकारों को जरिये सूचना पत्र सूचित कर पक्षकारों की उपस्थिति में मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवाडा कर बंटवाडा रिपोर्ट प्रस्तुत करें। तहसीलदार गिर्वा द्वारा पक्षकारों को सूचित कर पत्रांकः राजस्व ए/2022/584 दिनांक 26.07.2022 को बंटवाडा कर बंटवाडा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। जिस पर प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा आपत्ति प्रस्तुत कथन किया गया कि रिपोर्ट उसकी अनुपस्थिति में तैयार की गई है। प्रतिवादी संख्या 3 की आपत्तियों को स्वीकार किया जाकर प्रकरण पुनः रिपोर्ट हेतु नियत किया गया। तहसीलदार गिर्वा पत्रांकः राजस्व ए/2024/122 दिनांक 20.02.2024 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.05.30 14:27:17 IST
Reason: SelfAttested

पुनः बंटवाडा कर बंटवाडा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। जिस पर किसी भी पक्षकार द्वारा आपत्ति नही की गई। हमने तहसीलदार गिर्वा द्वारा प्रस्तुत बंटवाड़ा प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। प्रकरण में वादी अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 उदयलाल पिता श्री मोहनलाल गुर्जर की मृत्यु होने से उनके वारिसान की नामकायमी हेतु प्रार्थना पत्र पेश कर वारिसान को रेकार्ड पर लेने हेतु प्रार्थना पत्र कर निवेदन किया जाने से प्रवितादी संख्या 1 उदयलाल के वारिसान को रेकार्ड पर लिया गया। न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री, बंटवाड़ा प्रस्ताव के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा जारी नियम, परिपत्र, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1953 के नियम 18 व 21 का ध्यानपूर्वक अध्ययन का तहसीलदार द्वारा जारी बंटवाड़ा प्रस्ताव स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। उभयपक्ष बंटवाडा रिपोर्ट पर सहमत होने से बंटवाडा रिपोर्ट अनुसार :—

1. प्रभुलाल पुत्र मोहनलाल गुर्जर निवासी— गोरेला, उदयपुर खातेदार :—

आ.स.	रकबा	किस्म	लगान
564/6	0.0117	बीड़ द्वितीय	0.04
572/4	0.0150	कु. प्रथम	0.56
535/4	0.0367	बीड़ प्रथम	0.17
562/4	0.0325	कु. प्रथम	1.20
किता : 4	रकबा: 0.0959		लगान : 1.97

2 कमल सुरेश पिता स्व. उदयलाल, शान्ता बाई पुत्री स्व. उदयलाल, नारायणी बाई पत्नि स्व. उदयलाल पिता मोहनलाल गुर्जर निवासी—गोरेला खातेदार :—

आ.स.	रकबा	किस्म	लगान
564/3	0.0116	बीड़ द्वितीय	0.04
572/1	0.0150	कु. प्रथम	0.55
535/3	0.0367	बीड़ प्रथम	0.17
562/3	0.0325	कु. प्रथम	1.20
किता : 2	रकबा: 0.0958		लगान : 1.96

3.. शिवनारायण पुत्र मोहनलाल गुर्जर निवासी—गोरेला उदयपुर खातेदार :—

आ.स.	रकबा	किस्म	लगान
564/4	0.0116	बीड़ द्वितीय	0.04
572/2	0.0150	कु. प्रथम	0.55
535/2	0.0366	[illegible] प्रथम	0.17
562/2	0.0325	कु. प्रथम	1.20
किता : 2	रकबा: 0.0957		लगान : 1.96

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.05.30 14:27:17 IST
Reason: SelfAttested

4. श्यामलाल पुत्र मोहनलाल गुर्जर निवासी गोरेला उदयपुर खातेदार :—

आ.स.	रकबा	किस्म	लगान
564 / 5	0.0117	बीड़ द्वितीय	0.04
572 / 3	0.0150	कु. प्रथम	0.56
535 / 1	0.0366	बीड़ प्रथम	0.16
562 / 1	0.0325	कु. प्रथम	1.20
किता : 2	रकबा: 0.0958		लगान : 1.96

5. भंवरलाल पुत्र मोहनलाल गुर्जर निवासी— गोरेला उदयपुर खातेदार :—

आ.स.	रकबा	किस्म	लगान
564 / 7	0.0117	बीड़ द्वितीय	0.04
572 / 5	0.0150	कु. प्रथम	0.56
535 / 5	0.0367	बीड़ प्रथम	0.17
562 / 5	0.0325	कु. प्रथम	1.21
किता : 2	रकबा : 0.0959		लगान : 1.98

6. पुष्पाबाई पुत्री मोहनलाल गुर्जर निवासी गोरेला उदयपुर खातेदार :—

आ.स.	रकबा	किस्म	लगान
564 / 2मी.	0.0117	बीड़ द्वितीय	0.04
572 मी.	0.0150	कु. प्रथम	0.56
535 मी.	0.0367	बीड़ प्रथम	0.17
562 मी.	0.0325	कु. प्रथम	1.21
किता : 2	रकबा: 0.0959		लगान : 1.98

उक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादी के मध्य राजस्व मौजा ग्राम गौरेला, पटवार मण्डल सीसारमा, तह. गिर्वा की आराजी नम्बर 564 / 2, 572 किता 2 रकबा 0.1600 हेक्टयर भूमि व आराजी संख्या 535, 562 किता 2 रकबा 0.4150 हेक्टेयर भूमि का तहसीलदार गिर्वा द्वारा प्राप्त प्राथमिक डिक्री पालना रिपोर्ट अनुसार बंटवाडा कर वादी का वाद फाईनल डिक्री किया जाता है। तहसीलदार गिर्वा तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। बंटवारा रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। फाईनल डिक्री जारी हो। निर्णय सरेइजलास सुनाया गया।

प्रकरण फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Shivi Punadia
Date: 2024.05.30 14:27:17 IST
Reason: SelfAttested

रमेश शिवी पुनाड़िया (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)
गिर्वा— उदयपुर

डिक्री व मुकद्मे इब्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7 सि.प्र.सं.)

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक गिर्वा, उदयपुर मुकाम गिर्वा–उदयपुर पीठासीन अधिकारी रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस. मुकद्मा 53/24 सन 2024 सीगह वाद श्री भॅवरलाल गुंर्जर पिता श्री मोहनलाल गुर्जर, उम्र 54 वर्ष, निवासी गोरेला, गुर्जर बस्ती, तह. गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.) बनाम (1) मृतक उदयलाल पिता श्री मोहनलाल गुर्जर, उम्र वयस्क वर्ष, निवासी गोरेला, गुर्जर बस्ती, तह. गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.) (1/1) कमल पिता स्व. उदयलाल पिता श्री मोहनलाल गुर्जर (1/2) सुरेश पिता स्व. उदयलाल पिता श्री मोहनलाल गुर्जर (1/3) शान्ता बाई पुत्री स्व. उदयलाल पिता श्री मोहनलाल गुर्जर (1/4) नारायणी बाई पत्नि स्व. उदयलाल पिता श्री मोहनलाल गुर्जर सर्व निवासीनयान निवासी गोरेला, गुर्जर बस्ती, तह. गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.) (2) शिवनारायण पिता श्री मोहनलाल गुर्जर, उम्र वयस्क वर्ष, निवासी गोरेला, गुर्जर बस्ती, तह. गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.) (3) श्यामलाल पिता श्री मोहनलाल गुर्जर, उम्र वयस्क वर्ष, निवासी गोरेला, गुर्जर बस्ती, तह. गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.) (4)प्रभुलाल पिता श्री मोहनलाल गुर्जर, उम्र वयस्क वर्ष, निवासी गोरेला, गुर्जर बस्ती, तह. गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.) (5)श्रीमती पुष्पा बाई पत्नी श्री रामलाल गुर्जर, पुत्री श्री मोहनलाल गुर्जर, उम्र वयस्क वर्ष, निवासी गोरेला, गुर्जर बस्ती, तह. गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.) (6)राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब तह. गिर्वा, जिला उदयपुर वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का

यह मुकद्मा आज वास्ते अन्तिम निपटारा किये जाने रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस . के समक्ष प्रस्तुत हुआ। वादी अधिवक्ता श्री बजंरग प्रसाद शर्मा की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि उभयपक्ष बंटवाडा रिपोर्ट पर सहमत होने से बंटवाडा रिपोर्ट अनुसार :–

1. प्रभुलाल पुत्र मोहनलाल गुर्जर निवासी– गोरेला, उदयपुर खातेदार :–

आ.स.	रकबा	किस्म	लगान
564/6	0.0117	बीड़ द्वितीय	0.04
572/4	0.0150	कु. प्रथम	0.56
535/4	0.0367	बीड़ प्रथम	0.17
562/4	0.0325	कु. प्रथम	1.20
किता : 4	रकबाः 0.0959		लगान : 1.97

2 कमल सुरेश पिता स्व. उदयलाल, शान्ता बाई पुत्री स्व. उदयलाल, नारायणी बाई पत्नि स्व. उदयलाल पिता मोहनलाल गुर्जर निवासी–गोरेला खातेदार :––

आ.स.	रकबा	किस्म	लगान
564/3	0.0116	बीड़ द्वितीय	0.04
572/1	0.0150	कु. प्रथम	0.55
535/3	0.0367	बीड़ प्रथम	0.17
562/3	0.0325	कु. प्रथम	1.20
किता : 2	रकबाः 0.0958		लगान : 1.96

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.05.30 14:27:17 IST
Reason: SelfAttested

3.. शिवनारायण पुत्र मोहनलाल गुर्जर निवासी–गोरेला उदयपुर खातेदार :–

आ.स.	रकबा	किस्म	लगान
564/4	0.0116	बीड़ द्वितीय	0.04
572/2	0.0150	कु. प्रथम	0.55
535/2	0.0366	बीड़ प्रथम	0.17
562/2	0.0325	कु. प्रथम	1.20

किता : 2 रकबाः 0.0957 लगान : 1.96

4. श्यामलाल पुत्र मोहनलाल गुर्जर निवासी गोरेला उदयपुर खातेदार :–

आ.स.	रकबा	किस्म	लगान
564/5	0.0117	बीड़ द्वितीय	0.04
572/3	0.0150	कु. प्रथम	0.56
535/1	0.0366	बीड़ प्रथम	0.16
562/1	0.0325	कु. प्रथम	1.20

किता : 2 रकबाः 0.0958 लगान : 1.96

5. भंवरलाल पुत्र मोहनलाल गुर्जर निवासी– गोरेला उदयपुर खातेदार :–

आ.स.	रकबा	किस्म	लगान
564/7	0.0117	बीड़ द्वितीय	0.04
572/5	0.0150	कु. प्रथम	0.56
535/5	0.0367	बीड़ प्रथम	0.17
562/5	0.0325	कु. प्रथम	1.21

किता : 2 रकबा : 0.0959 लगान : 1.98

6. पुष्पाबाई पुत्री मोहनलाल गुर्जर निवासी गोरेला उदयपुर खातेदार :–

आ.स.	रकबा	किस्म	लगान
564/2मी.	0.0117	बीड़ द्वितीय	0.04
572 मी.	0.0150	कु. प्रथम	0.56
535 मी.	0.0367	बीड़ प्रथम	0.17
562 मी.	0.0325	कु. प्रथम	1.21

किता : 2 रकबाः 0.0959 लगान : 1.98

उक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादी के मध्य राजस्व मौजा ग्राम गौरेला, पटवार मण्डल सीसारमा, तह. गिर्वा की आराजी नम्बर 564/2, 572 किता 2 रकबा 0.1600 हेक्टयर भूमि व आराजी संख्या 535, 562 किता 2 रकबा 0.4150 हेक्टेयर भूमि का तहसीलदार गिर्वा द्वारा प्राप्त प्राथमिक डिक्री पालना रिपोर्ट अनुसार बंटवाडा कर वादी का वाद फाईनल डिक्री किया जाता है। तहसीलदार गिर्वा तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। बंटवारा रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। फाईनल डिक्री जारी हो।

उक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादी के मध्य राजस्व मौजा ग्राम गौरेला, पटवार मण्डल सीसारमा, तह. गिर्वा की आराजी नम्बर 564/2, 572 किता 2 रकबा 0.1600 हेक्टयर भूमि व आराजी संख्या 535, 562 किता 2 रकबा 0.4150 हेक्टेयर भूमि का तहसीलदार गिर्वा द्वारा प्राप्त प्राथमिक डिक्री पालना रिपोर्ट अनुसार बंटवाडा कर वादी का वाद फाईनल डिक्री किया जाता है। तहसीलदार गिर्वा तद्नुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Purbadia
Date: 2024.05.30 14:27:17 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। बंटवारा रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। फाईनल डिक्री जारी हो। निर्णय सरेइजलास सुनाया गया।

और इस वाद के खर्चे लेखे ....रुपये की राशि................आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर ....प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित ....द्वारा ....को दी जाए।

यह आज तारीख ....15........................... माह ...5........... सन् ....2024............. को मेरे से हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

हस्ताक्षर न्यायाधीश ....
पद ....

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	पैसे	प्रतिवादी	रुपया	पैसे
वाद पत्र के लिए स्टाम्प			स्टाम्प प्रार्थना पत्र		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प वकालतनामा		
प्रदर्शो के लिए स्टाम्प			प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		
मेहनताना वकील) पर	—	—	मेहनताना वकील) पर	—	—
खर्चा गवाह			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
आदेशिका की तामील			आदेशिका की तामील		
विविध खर्चे			विविध खर्चे		
योग			योग		

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.05.30 14:27:17 IST
Reason: SelfAttested